REGISTERED No. D. 221

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 86] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 1964/ASADHA 17, 1886

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTIONS

New Delhi, the 8th July 1964

No. 34(4)-Com(Genl)(FMC)/64.—Forward trading in staple fibre yarn was banned by the Government of India by their notification S.O. No. 3797, dated the 17th December, 1962, issued under section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952.

2. The Forward Markets Commission has since examined the question of regulating forward trading in staple fibre yarn and submitted its report on the recognition of associations in respect of forward contracts in staple fibre yarn to the Government of India.

The Commission has recommended as follows:—

(i) Section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, may be applied to staple fibre yarn in the whole of India, replacing section 17 of the Act, which is at present applied to the commodity;

(ii) A futures market in staple fibre yarn may be established immediately at Bombay; and

(iii) The Bombay Yarn Merchants Association and Exchange Limited, Bombay, may be granted recognition under section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, for conducting futures trading in staple fibre yarn for a period of two years.

2. The Government of India have accepted the foregoing recommendations made by the Commission, and have decided to grant recognition to The Bombay Yarn Merchants Association and Exchange Limited, Bombay, after it has completed the modifications to its Articles of Association, trading Bye-laws and working procedure to the satisfaction of the Commission.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

No. 34(5)-Com(Genl)(FMC)/64.—Forward trading in Kapas was banned throughout the country on the 26th November, 1962, under section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. The ban was subsequently removed on the 2nd November, 1963. The Forward Markets Commission has since examined the question of regulating futures trading in Kapas and submitted its report

to the Government of India on the recognition of associations in respect of forward contracts in Kapas.

2. The Commission has recommended as follows:—

(i) Forward trading in Kapas may be regulated throughout the country and a notification issued under section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, in July, 1964.

(ii) Recognition may be granted in respect of forward contracts in Kapas, under section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, to—

(1) The Punjab Company Limited, Bhatinda;

(2) The Mahesh Beopar Bhandar Compay Limited, Dhuri;

(3) The Saurashtra Oil and Oilseeds Association Limited, Rajkot, after an application for recognition in respect of Kapas has been received from the Association on the condition that the Association will conduct trading in Kapas through its ring at Surendranagar. It may, if possible, open a new ring for Kapas at Dhrangadhra, in due course; and

(4) The Jalna Merchants' Association Limited, Jalna.

The recognition to the aforesaid associations may be granted for a period of three years, subject to their carrying out such modifications in their Memoranda and Articles of Association, trading By-laws and working procedure as may be suggested by the Commission.

3. The Government of India accept the foregoing recommendations made by the Commission.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

S. VOHRA, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, ८ जुलाई, १९६४

सं० ३४(४) काम० (जन) (एफ० एम० सी०)/६४—भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना सं० ३७९७ दिनांक १७ दिसम्बर, १९६२ द्वारा स्टेपल रेशों के सूत का वायदा व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। यह अधिसूचना वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ के अधीन जारी की गई थी।

२. वायदा बाजार आयोग ने अब स्टेपल रेशों के सूत के वायदा व्यापार को नियंत्रित करने के प्रश्न की जांच कर ली है और स्टेपल रेशों के सूत के सम्बन्ध में वायदा संविदा करने वाले संगठनों को मान्यता देने के विषय में उसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है। आयोग ने निम्न सिफारिशें की हैं :—

(१) वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम १९५२ की धारा १७, जो इस समय इस जिस पर लागू होती है, उसके स्थान पर अधिनियम की धारा १५ स्टेपल रेशों के सूत पर सारे भारत में लागू होनी चाहिये;

(२) स्टेपल रेशों के सूत के लिये बम्बई में एक वायदा बाजार की स्थापना तुरन्त की जानी चाहिये; और

(३) स्टेपल रेशों के सूत का दो साल तक की अवधि के लिये वायदा व्यापार चलाने के उद्देश्य से बम्बई यार्न मर्चेन्ट्स एसोसियेशन एण्ड एक्सचेंज लिमि० को वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा ६ के अधीन मान्यता दे दी जानी चाहिये ।

३. आयोग द्वारा की गई ऊपर लिखी सिफारिशें भारत सरकार ने मान ली है और बम्बई यार्न मर्चेन्ट्स एसोसियेशन एण्ड एक्सचेंज लिमि० बम्बई को ऐसी मान्यता देने का निश्चय किया है। लेकिन ऐसा तभी किया जायगा जब कि वह अपनी संस्था की अन्तर्नियमावली व्यापारिक उप-नियमों और कार्य पद्धति में आयोग का सन्तोष करने वाले संशोधन कर लेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाय और इसको भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाय ।

सं० १४(५) काम० (जन) (एफ० एम० सी०)/६४—वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम १९५२ की धारा १७ के अधीन २६ नवम्बर, १९६२ से सारे देश में कपास के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। यह प्रतिबन्ध बाद में २ नवम्बर, १९६३ से हटा दिया गया था। वायदा व्यापार आयोग ने तब से कपास में वायदा व्यापार को विनियमित करने के प्रश्न पर विचार किया है और कपास के वायदा संविदा करने से सम्बन्धित संघों को मान्यता देने के बारे में भारत सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

२. आयोग ने निम्न सिफारिशें की हैं :–

(१) सारे देश में होने वाले कपास के वायदा व्यापार का विनियमन किया जाय और वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम १९५२ की धारा १५ के अधीन जुलाई, १९६४ में एक अधिसूचना जारी कर दी जाय ।

(२) कपास के वायदा संविदों के सम्बन्ध में, वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम १९५२ की धारा ६ के अधीन नीचे लिखों को मान्यता दे दी जाय :—

(१) दी पंजाब कम्पनी लिमि० भटिण्डा ।

(२) महेश व्यापार भण्डार कम्पनी लिमि०, धुरी ।

(३) सौराष्ट्र आइल्स एण्ड आइलसीड्स ऐसोसियेशन लिमि० राजकोट, किन्तु कपास के सम्बन्ध में मान्यता देने के लिये इस संघ से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, उसी दशा में ऐसा किया जाय जब कि संघ सुरेन्द्र नगर स्थित अपने मण्डल के जरिये कपास में व्यापार करे। यदि सम्भव हो तो यह संघ यथासमय एक नया मण्डल धागन्धा में भी खोल सकता है ।

४. दी जालना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन लिमि०, जालना ।

उपर्युक्त संघों को यह मान्यता तीन वर्ष की अवधि के लिये दी जाय लेकिन उसी दशा में जब कि वे अपनी संस्था के ज्ञापन-पत्र और सन्नियमों, व्यापारिक उपनियमों तथा कार्य पद्धति में ऐसे संशोधन कर दें जो कि आयोग द्वारा सुझाये जायें ।

३. आयोग द्वारा की गई उपर्युल्लिखित सिफारिशों को भारत सरकार स्वीकार करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाय और इसे भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाय।

स० बोहरा,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1964.